प्र. सं. 81/2021 Online No. 2021/263

हेमन्त कुमार / कैलाश व अन्य

15-7-2021	~~पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी सं. 3 के प्रमाण तामील हेतु पेश करें, प्रकरण दिनांक 14-10-2021 को पेश हो।~~ (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा
14/10/2021	पत्रावली कोर्ट केम्प पांचव पेश हुई। पक्षकारान अनुपस्थित। पक्षकारान ने राजीनामा पेश नहीं किया गया। प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता है पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10/01/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा
10-01-2022 हस्ताक्षर (हस्ताक्षर) हेमन्त कुमार (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) भवन कुमार	~~पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 ने राजीनामा पेश किया में बताया कि आराजी वादी के हक में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा दखलंदाजी पैदा कर दी जिसके संबंध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 में राजीनामा हो चुका है वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण अवरोध पैदा नहीं करेंगे ... राजीनामा मुताबिक राजीनामा ... स्वीकार कर ... प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के ... आराजी तहसील भीलवाड़ा के ... 5004/18 ... 0-0316 ... रकबा 0-1011 ... में दखलंदाजी प्रतिवादी ... उपयोग में ... प्रकरण निर्णीत ...~~ (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी, श्रीमति ओम प्रभा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 81/2021 राजस्व वाद

उनवान

1– श्री हेमन्त कुमार विजयवर्गीय पुत्र कैलाशचन्द्र विजयवर्गीय निवासी 1–ग–13 भैरुनाथ भोजनालय वाली गली बापूनगर भीलवाडा।

—वादी

बनाम

1. श्री कैलाश केडिया पुत्र स्व0श्री मुरलीधर केडिया निवासी गांधीनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. सुमित केडिया पुत्र श्री कैलाश केडिया निवासी कैलाश कुन्ज, महेश बैंक के पास गांधीनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्यामलाल पुत्र नारायण गुर्जर निवासी सब्जी मण्डी के पास, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 रा0 का0 अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1– श्री पवनकुमार पंवार, अधिवक्ता—वादी
2– श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1व 2
3– श्री मुकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 03

वादी की ओर से अधिवक्ता पवन कुमार पंवार उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 01 से 02 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता गोपाल अजमेरा प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा के– में इस वाद के आज दिनांक 10.01.2022 को ओम प्रभा, **आर.ए.एस.** न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि और इस वाद के मामले में लेखो प्रतिशत रूपये की राशि आज दिनांक से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत को दी जावे।

अतः वादी का वादपत्र मुताबिक राजीनामा लोक अदालत की भावना से स्वीकार कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पांसल तहसील व जिला भीलवाडा के आ0नं0 4004/2 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4911/4003 रकबा 0.0316 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4913/4499 रकबा 0.0316 हैक्टयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.1011 हैक्टयर भूमि में दखलअंदाजी प्रतिवादीगण नही करे एवं उपयोग उपभोग में भरी बाधा उत्तपन्न नही करे स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी पाबन्द रहे। राजीनामा प्रार्थना पत्र डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

(ओम प्रभा)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा